न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
नियमित जमानत याचिका संख्या–365/2026
राजेपुर थाना काण्ड संख्या–319/2025

उपस्थित
श्रीप्रकाश
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

1. रामेश्वर सहनी, उम्र– 43 वर्ष, पिता– झड़ीलाल सहनी
साकिन– चक्की भड़कुरवा, थाना– राजेपुर जिला– पूर्वी चंपारण।
.....अभियुक्त

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री प्रदीप कुमार।
अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजकः– श्री दिग्विजय नारायण सिंह।

आदेश

01.04.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त रामेश्वर सहनी की ओर से राजेपुर थाना काण्ड संख्या– 319/2025, दिनांक–23.11.2025, धारा–126(2), 115(2), 109, 303(3), 352, 351(2), 118(2), 3(5) भा0न्या0सं0 में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी गयी है। आवेदिका दिनांक–15.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता संचालित करते हुए निवेदन करते है कि आवेदक बिलकुल निर्दोष है एवं इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई अन्य जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं है। आवेदक के विरूद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप झूठा एवं मनगढ़ंत है। आवेदक दिनांक–15.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत का प्रबल विरोध करते हैं।

अभियोजन की संक्षिप्त कहानी सूचक सुकल सहनी दिनांक 10.11.2025 करीब 6.30 बजे शाम रामेश्वर सहनी, विकास कुमार, कविता देवी, भोला सहनी, अर्जुन सहनी, एवं अज्ञात चार– पांच व्यक्ति था। मैं अपने जिविकापार्जन के लिए एक किराना दुकान बांध पर चलाता हूं ठीक सामने बांध के नीचे मेरा आवासीय मकान है। मेरे दुकान के बगल में रामेश्वर सहनी का किराना का दूकान है जिस कारण रामेश्वर सहनी एवं उनके परिवार के लोग बराबर मुझे और मेरे पत्नी तथा बच्चों को मारपीट करता रहता है। दिनांक 10.11.2025 मेरी पत्नी गीता देवी किराना दुकान चला रही थी कि सभी उपरोक्त नामित व्यक्ति हाथ में लिए लाठी–फट्ठा और टंगूली से लैश होकर मेरे दूकान पर पहूंच गए और मेरी पत्नी गीता देवी को भद्दी–भद्दी गालियां देकर दुकान बंद कराने के लिए बोलेने लगे। मेरी पत्नी ने विरोध किया तो उपरोक्त सभी व्यक्ति दूकान में घूसकर मारपीट करने लगे। जान मारने के नियत से रामेश्वर सहनी हाथ में लिए धारधार टंगूली से गीता देवी के सर पर मारा जिससे गीता देवी का सर गंभीर रूप से कट गया। मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए गया तो

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
नियमित जमानत याचिका संख्या–365/2026
राजेपुर थाना काण्ड संख्या–319/2025

Contd.... 01.04.2026

उपरोक्त लोग मुझे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया तथा मेरे दूकान का किराना का सामान लगभग 10,000 से अधिक का लूट लिया। नगद रूपया 1000/– निकाल लिए। कविता देवी नाक से सोने का एक लवंग तथा सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। हल्ला पर अगल–बगल के लोग पहूंचे। हम जख्मियों को लेकर स्वास्थ्य कल्याण विभाग मोतिपुर ले गए जहां पर मेरा और मेरी पत्नी का ईलाज हुआ।

उभय पक्षों को जमानत आवेदन पर सुना। अभिलेख, प्राथमिकी, काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों में धारा 126(2), 115(2), 109, 303(3), 352, 351(2), 118(2), 3(5) भा0न्या0सं0 में दर्ज है। आवेदक पर विशिष्ट आरोप नहीं है। दिनांक 15.01.2026 से आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में है। काण्ड दैनिकी के पैरा–32 में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन है जिसमें जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त **रामेश्वर सहनी** को रू0 10,000X2 साथ ही समान राशि के दो प्रतिभुओं का बंध–पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है किः–

1. एक जमानतदार आवेदक/अभियुक्त का करीबी रिश्तेदार होगा।
2. आवेदक द्वारा पुनः समान प्रकृति का अपराध नहीं किया जाएगा।
3. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किए जाने कि स्थिती में न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का बंध पत्र खण्डित करने हेतू स्वतंत्र होगा।

(लेखपित)
ह0/–

(श्रीप्रकाश)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
01.04.2026